भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3259

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

छद्म बिल्डरों/डेवलपरों के विरुद्ध शिकायतें

3259. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ऐसे छद्म बिल्डरों/डेवलपरों के संबंध में कोई शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने केन्द्र प्रायोजित अग्रणी योजना अर्थात् प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के नाम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग के आवासों के आवंटन के लिए बड़ी संख्या में ग्राहकों को पंजीकृत और सूचीबद्ध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ऐसे मामलों की जांच करने और तद्नुसार ऐसे बिल्डरों/डेवलपरों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छद्म बिल्डरों/डेवलपरों के संबंध में राज्यवार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा पीएमएवाई के अंतर्गत पंजीकृत बिल्डरों/डेवलपरों की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू योजना को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर नामित नोडल एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। लाभार्थियों के पारदर्शी चयन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुमोदन के लिए लाभार्थी सूची की कई स्तरों पर जांच की जाती है। पीएमएवाई-यू प्रस्तावों को केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा दी जाने

वाली केंद्रीय सहायता की आगे की स्वीकृति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

लाभार्थियों का चयन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किया जाता है। फर्जी बिल्डरों/ डेवलपर्स के खिलाफ शिकायतों सहित पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के बारे में किसी भी शिकायत का समाधान मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और शहरी दोनों स्तरों पर उपलब्ध उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और साथ ही लागू कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा, नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) भी उपलब्ध है, ताकि वे पीएमएवाई-यू सहित सेवा प्रदायगी से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक प्राधिकरणों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने और इनके त्वरित निपटान के लिए एक लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली भी विकसित की है। फर्जी बिल्डरों/डेवलपर्स के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार शिकायतों का रखरखाव मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

*****